रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] दिल्ली, शनिवार, मई 11, 2019/वैशाख 21, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 42

No. 91] DELHI, SATURDAY, MAY 11, 2019/VAISAKHA 21, 1941 [N.C.T.D. No. 42

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

(दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 6), के अधीन स्थापित

(पूर्ववर्ती दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 मई, 2019

फा.सं. 1(27)/2013/एसबी/डीटीटीई/पीटी फाइल/स्टैट्यू (5वां)/772.—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (2009 के दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 31 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा 30(ग) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड ने कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, निम्नांकित संविधि तैयार की है, जिसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीसीई) के शिक्षण और गैर–शिक्षण कार्मिक, इस संविधि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से,दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में शामिल होने का विकल्प चुन सकेंगे। अर्थात्–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होने की तारीख:** (i) इसे "दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संविधि (पांचवी) 2019" कहा जाएगा,जो पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए नियम और शर्तों के निर्धारण से संबद्ध है।

(ii) यहसंविधि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

40/C

2. **परिभाषाएं** : संविधि में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही होगा जो उनके लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संविधि (प्रथम) में नियत किया गया है।

3. **धारा 4(घ), डीटीयू अधिनियम** : 2009 के दिल्ली अधिनियम 6 के अनुसार दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से गैर–सम्बद्ध शिक्षण–एवं–शोध विश्वविद्यालय में पुनर्गठन की तिथि से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सभी कर्मचारी डीटीयू अधिनियम, 2009 की धारा 4(घ) के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध माने जाएंगे।

4. **विकल्प के लिए पात्रता शर्तें –निम्नांकित कर्मचारियों से विकल्प पूछा जाएगाः–**

(i) दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के प्रभावी होने की तिथि, 15 जुलाई 2009 से पहले पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नियमित आधार पर नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी और के स्थायी आधार पर नियमित पद धारी कर्मचारी।

(ii) पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नियमित रिक्त पदों के लिए चुने गए सभी कर्मचारी, सरकार से मंजूर पदों पर सरकारी नियमों के अनुरूप चुने गए सभी कर्मचारी, जिन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनिरिंग के दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुनर्गठित होने की तारीख यानी 15 जुलाई 2009 के बाद कार्यभार ग्रहण किया हो, भले ही उनके नियुक्ति पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई),या दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए हों।

5. **विकल्प आमंत्रित करने की प्रक्रिया** : प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई), उपर्युक्त धारा 4 में उल्लिखित सभी कर्मचारियों से धारा 6 के अनुरूप लिखित विकल्प आमंत्रित करेगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और संबंधित कर्मचारी बाद में उसे वापस नहीं ले सकेंगे। किसी भी कर्मचारी को सशर्त कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा।

6. **प्रथम विकल्प : दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 4(ख) के अनुसार पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कर्मचारी के रूप में बने रहने के इच्छुक।**

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2009 की धारा 4(घ) को इस प्रकार पुनः परिभाषित किया गया है।

"इस घोषणा से पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी पूर्व निर्धारित सेवाकाल, पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक और पूर्व निर्धारित नियम और शर्तों तथा पेंशन, अवकाश, गेच्युटी, भविष्यनिधि जैसे सभी अधिकारों और अन्य सुविधाओं के साथ, जो अधिनियम पारित नहीं होने की स्थिति में उसे मिलती रहतीं, विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा तब तक जारी रख सकेगा, जब तक कि उसकी सेवाएं समाप्त नहीं कर दी जातीं याउसनेसेवा संबंधी विश्वविद्यालय के नियमों और शर्तों का विकल्प न चुना लिया हो।

प्रथम विकल्प के लिए नियम और शर्तें (i) यदि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कोई कर्मचारी प्रथम विकल्प चुनता है, तो उस पर सेवा से अवकाश प्राप्त करने तक दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग की उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी। डीसीई के सभी कर्मचारियों के पेंशन, अवकाश, ग्रेच्युटी, भविष्यनिधि और अन्य मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे और इन कर्मचारियों को ये लाभ प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से पहले ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ii) 15 जुलाई 2009 (अर्थात् डीटीयू अधिनियम 2009 के अंतर्गतडीसीई के डीटीयू में रूपांतरित होने की तारीख) से पूर्ववर्ती डीसीई के सभी कर्मचारी अवकाश प्राप्ति तक रिक्त सरकारी पदों पर डीम्ड डेपुटेशन/प्रतिनियुक्ति परसमझे जाएंगे और वे पूर्ववर्ती डीसीई के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ पाने के हकदार होंगे। उन्हें दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्वायत्त शासी संगठन होने के बावजूद दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं तथा सेवा निवृत्ति और पेंशन लाभ मिलेंगे। परन्तु,1 जनवरी, 2004 और 15 जुलाई 2009 के बीच नियुक्त कर्मचारी पहली जनवरी 2004 से प्रभावी केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित पूर्ववर्ती डीसीई के सभी कर्मचारी डीसीई, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान और अन्य लाभों के पात्र होंगे। परन्तु, उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा।

(iv) संघ लोक सेवा आयोग/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से डीसीई के रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्त, परन्तु 15 जुलाई 2009 के बाद डीटीयू में पदभार ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति/कर्मचारी, भी डीसीई के पूर्व कर्मचारी